



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 12.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



12/11/2024 11:25



12/11/2024 11:20



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



यातायात माह नवंबर के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए साथ ही गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी प्रदान कर यातायात नियमों की शपथ दिलाई गई-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोकथाम के लिए चलाये जा रहे यातायात माह नवंबर के तहत यातायात जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक- 12.11.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत महोबा मुख्यालय नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले मोटर साइकिल, कार एवं बैटरी ई-रिक्शा चालकों को रोककर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनके वाहनों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित स्टिकर को चस्पा किया गया साथ ही तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए पंपलेट वितरित किए गए।

इस दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा गुड सेमेरिटन और गोल्डन ऑवर के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि "गुड सेमेरिटन योजना" के तहत ऐसे नेक व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जिसने किसी घातक दुर्घटना (मोटर वाहन से जुड़ी) के पीड़ित की जान तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के 60 मिनट) के भीतर उसे अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई हो।

इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा यातायात जागरूकता माह कार्यक्रम के तहत मुख्यालय महोबा के प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचकर वहां पर मौजूद बस एवं ऑटो चालकों को एकत्रित कर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया जिसमें उनको वाहन चलाते समय किन-किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटना रोका जा सके। इन यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन किये जाने की शपथ दिलाई गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



'मिशन शक्ति' फेज-5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं एवं छात्राओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरूक-

आज दिनांक 12.11.2024 को पुलिस अधीक्षक, महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु प्रचलित "मिशन शक्ति" के पंचम चरण अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में समाज में नारी सुरक्षा व सम्मान एवं नारी स्वावलम्बन हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर चौपाल लगाकर तथा विभिन्न स्कूलों, कालेजों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं/बालिकाओं एवं छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित पंपलेट वितरित करते हुए जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) व पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न अधिकार/कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी किये गये हेल्पलाइन नम्बरों 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, 1930- साइबर क्राइम तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में भी जानकारी देते हुए जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किया गया।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रिया कलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे0कां0 प्रदीप कुमार, हे0कां0 दयाराम कुशवाहा व कां0 पवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम नटरा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.नरेन्द्र राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र 22 वर्ष 2.राजा राजपूत पुत्र स्व0 दयाराम राजपूत उम्र 48 वर्ष 3.जगमोहन पुत्र पंचम बसोर उम्र 50 वर्ष 4.अनिल राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र 24 वर्ष 5.रामपाल पुत्र नरायनदास श्रीवास उम्र 40 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम नटरा थाना चरखारी जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से जामातलाशी 390 रू0, मालफड़ 1900 रू. कुल 2290/- रूपया व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 274/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2. हे0कां0 प्रदीप कुमार
3. हे0कां0 दयाराम कुशवाहा
4. कां0 पवन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.नरेन्द्र राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र 22 वर्ष
 2. राजा राजपूत पुत्र स्व0 दयाराम राजपूत उम्र 48 वर्ष
 3. जगमोहन पुत्र पंचम बसोर उम्र 50 वर्ष
 4. अनिल राजपूत पुत्र सुघर सिंह उम्र 24 वर्ष
 - 5.रामपाल पुत्र नरायनदास श्रीवास उम्र 40 वर्ष
- समस्त निवासीगण ग्राम नटरा थाना चरखारी जनपद महोबा



Shot on realme 8



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-


पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 11.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य व उ0नि0 योगेश रावत मय हमराह कां मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त शान सिंह पुत्र स्व भगवत सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 21 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए मुढारी तिराहा के पास वहद कस्बा कुलपहाड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 342/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण वैश्य
2. उ0नि0 योगेश रावत
3. कां मनोज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

शान सिंह पुत्र स्व भगवत सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस तथा अवैध मोटर साइकिल के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों एवं अपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 12.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त मूरत सिंह भोटिया पुत्र अतर सिंह भोटिया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला सिकन्दरपुरा (कुचबधिया मुहाल) दाताकुटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को थानाक्षेत्र के नकरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस व 01 अदद मो0सा0 हीरो स्पेलेण्डर प्लस काले रंग की इंजन नं0 HA10AGKHK08947 व चेचिस नं0 MBLHAW088HK09614 बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0 294/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 295/24 धारा 2(30)/317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

मूरत सिंह भोटिया पुत्र अतर सिंह भोटिया उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मुहल्ला सिकन्दरपुरा (कुचबधिया मुहाल) दाताकुटी के पास कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. व0उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 रामकिशन यादव
3. का0 मिथुन कुमार
4. का0 देवेन्द्र राजपूत

बरामदगी माल-

1. एक अदद मो0सा0 हीरो स्पेलेण्डर प्लस काले रंग की इंजन नं0 HA10AGKHK08947 व चेचिस नं0 MBLHAW088HK09614 बरामद हुआ।
2. एक अदद तमंचा 315 बोर खुसा हुआ व पहने हुए पैट की दायी जेब से दो अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड की पुलिस टीम ने लोहे के धारदार बांका के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों एवं अपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 12.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश तिवारी, का0 अजय कुमार, का0 मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुंदेलखण्ड महाविद्यालय के सामने वाले रोड के पास से एक नफर अभियुक्त महेन्द्र पाठक पुत्र देवनारायण पाठक नि0 मु0 तौरियापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को हिरासत में लिया, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद लोहे का धारदार बांका अवैध रूप से बरामद किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 343/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-


महेन्द्र पाठक पुत्र देवनारायण पाठक नि0 मु0 तौरियापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

अभियुक्त से बरामद माल का विवरण:-

01 अदद लोहे का धारदार बांका अवैध

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी
2. का0 अजय कुमार 3. का0 मनोज कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने एक नफर जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, की गई गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे शातिर अभियुक्तों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखते हुए उनके भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में दिनांक- 11.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश तिवारी व का0 विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपराधियों के भौतिक सत्यापन एवं चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के बागौल तिराहा व हद कस्बा व थाना कुलपहाड़ क्षेत्र से 01 नफर जिलाबदर अभियुक्त पीयूष कुशवाहा पुत्र स्व0 नवल किशोर निवासी मु0 हटवारा बस स्टैण्ड के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया है।

आपराधिक क्रियाकलापों पर अभियुक्त को जिलाबदर घोषित कर आदेश निर्गत किये गये थे, अभियुक्त के आदेश का उल्लंघन कर जनपद महोबा के सीमा क्षेत्र में पाये जाने के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 341/2024 धारा 10 UP गुण्डा अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार शुदा जिलाबदर अभियुक्त का विवरण:-

पीयूष कुशवाहा पुत्र स्व0 नवल किशोर निवासी मु0 हटवारा बस स्टैण्ड के पास कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी
2. का0 विवेक कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 12.11.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा श्री स्वामी गोवर्धन नाथ जी मेला चरखारी का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 12.11.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद के थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत श्री गोवर्धन नाथ जी मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के दृष्टिगत मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और ग्यास मेला बंदोबस्त ,सुरक्षा और यातायात व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पूर्ण मेला परिसर में आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है साथ ही महिला सुरक्षा को दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है एवं सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात किया गया है, सम्पूर्ण मेला परिसर में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को भी स्थापित कराया गया है। अग्नि सुरक्षा के लिये फायर सर्विसेज की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि मेला स्थल के अंदर वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रखा जाए।

इस दौरान उपजिलाधिकारी श्री प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द सिंह गौर, थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

